संख्याः 601 / VIII / 691–प्रशि0 / 2004

प्रेषक,

श्री दयाल सिंह नाथ,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी ।

श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण विज्ञान एवं प्रौधोगिकी अनुभाग देहरादून दिनांकः 04 ~~फरवरी~~ मार्च–2004

विषयः वित्तीय वर्ष 2004–05 में अनुदान संख्या–16 लेखाशीर्षक–2230–03–003–07 आयोजनागत के मानक मद संख्या–25 लघु निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रूपये 10 लाख को अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 791 / डी0टी0ई0यू0 / 0202 / एनपीबी / 2004–05, दिनांक 16,फरवरी–2005, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्तावानुसार निम्नांकित राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लघु निर्माण कार्यो हेतु रूपये 10,00,000 / – लाख (रूपये दस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि हजार रूपये में)

क0सं0	संस्थान का नाम	आबंटित की जाने वाली धनराशि
1.	रा0आई0टी0आई0 अस्कोट	50
2.	रा0आई0टी0आई0 धारचूला	300
3.	रा0आई0टी0आई0 अल्मोड़ा	100
4.	रा0आई0टी0आई0 काशीपुर युवक	100
5.	रा0आई0टी0आई0 श्रीनगर	200
6.	रा0आई0टी0आई0 हरिद्वार	100
7.	रा0आई0टी0आई0 कर्णप्रयाग	50
8.	रा0आई0टी0आई0 बड़कोट	50
9.	रा0आई0टी0आई0 महिला देहरादून	50
	योग :	1000

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है, कि प्रश्नगत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष 2004–05 में करने का कष्ट करें, यदि तिथि के उपरान्त कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसका नियमानुसार शासन को दिनांक 31–3–05 तक समर्पण कर दिया

जायेगा। उक्त धनराशि के उपभोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्य की भौतिक प्रगति सहित शासन को उपलब्ध करायी जाये ।

3– स्वीकृत धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। व्यय उसी मदों /प्रयोजनमें किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

4– व्यय करने से पूर्व लोक निर्माण विभाग से आंगणन बनाये जाने की सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कर उस पर सक्षम तकनीकी आअधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ली जायें ।

5– कार्य करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्यतता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31–3–2005 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा ।

7– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु अनुदान संख्या–16 मुख्यलेखाशीषर्क –2230,श्रम तथा रोजगार 03--प्रशिक्षण, आयोजनागत, 003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण,07–राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण–00 के अर्न्तगत मानक मद संख्याः 25–लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः यू0ओ0: 540/वि0अनु0–3/2005 ,दिनांकः, 28, फरवरी--2005 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(दयाल सिंह नाथ)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 345(1)/**VIII**/ 691–प्रशि0/ 2004, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून
2– सम्बन्धित् जनपद के कोषाधिकारी।
3– सम्बन्धित् संस्थान ।
4– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त बजट।
5– एनआईसी, सचिवालय
6– नियोजन–विभाग ।
7– वित्त अनुभाग–3
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव